

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2740837 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक : एफ.4(ई)एस-2155/2013/लंक.नं.12377/अलेसे-III/1106

दिनांक : 19.09.2022

कार्यालय आदेश

श्री सूरज मल मीणा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के आवेदन पत्र, अग्रेषण क्रमांक प.16(18)एम.ई./ग्रुप-1/2019 पार्ट-2 दिनांक 08.09.2022 के अनुसार माह अक्टूबर 2022 में दिनांक 03.10.2022 से 14.10.2022 तक भ्रमण हेतु मलेशिया जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन/ फ़ैक्स न.आदि सूचित करेंगे।
3. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
4. वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय/विदेश सेवा गृहण नहीं करेंगे।
5. वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेंगे।
6. वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
7. उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा /के माध्यम से कोई व्यय/ विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
9. वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेंगे।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावेगी।
11. उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगी।


(भूपेश मिश्रा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक : एफ.4(ई)एस-2155/2013/लंक.नं.12377/अलेसे-III/1106

दिनांक : 19.09.2022

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री सूरज मल मीणा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय शासन उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)